

आयुष संचालनालय  
मध्य प्रदेश  
सतपुड़ा भवन, भोपाल

कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर (संविदा नियुक्ति) सेवा भर्ती नियम–2022

दिनांक: 29.03.2022

क्रमांक/एफ.-NAM-82/10/आयुष मिशन/2022 आयुष संचालनालय मध्य प्रदेश के अंतर्गत कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर संविदा सेवाएं देने हेतु हेतु निम्नलिखित नियम बनाती हैं:-

1. **शीर्षक**— ये नियम 'राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुष विभाग मध्यप्रदेश अंतर्गत हेल्थ एण्ड वैलनेस सेंटर पर कार्य करने हेतु 'कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर (संविदा नियुक्ति) सेवा भर्ती नियम 2022' कहलायेंगे। ये नियम इनके प्रकाशन दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** :-

- 2.1 "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, इन नियमों के तहत संविदा डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के पद के संबंध में कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी अर्थात् आयुक्त संचालनालय आयुष, मध्य प्रदेश।
- 2.2 "परीक्षा" से अभिप्रेत है कि आयुष विभाग अंतर्गत कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर संविदा सेवाएं देने हेतु चयन हेतु निर्धारित परीक्षा।
- 2.3 "आरक्षित श्रेणी" से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश राज्य के अन्तर्गत घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, निश्कृत जन एवं महिला अभ्यर्थी।
- 2.4 "विभाग" से तात्पर्य है आयुष विभाग मध्यप्रदेश।
- 2.5 "आयुक्त" से अभिप्रेत है आयुष विभाग मध्यप्रदेश।
- 2.6 "आयुष मिशन" से तात्पर्य है— राष्ट्रीय आयुष मिशन।
- 2.7 "कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर" से अभिप्रेत है आयुष विभाग अंतर्गत संविदा आधार पर नियुक्त कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर।

3. **सामान्य** :-

- 3.1 ये नियम ऐसे अभ्यर्थियों पर लागू होंगे जो मध्यप्रदेश आयुष विभाग के अंतर्गत हेल्थ एण्ड वैलनेस सेंटर हेतु के कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर पद पर नियुक्त होंगे।
- 3.2 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, के अंतर्गत कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर चयन होने पर अन्य सेवा संविदा अथवा नियमित में कार्यरत उम्मीदवार की नियुक्ति पूर्व कार्यरत पद से त्यागपत्र देना अनिवार्य होगा।
- 3.3 यह सेवायें नियुक्ति दिनांक से 01 वर्ष के लिये है। आवश्यकता एवं बजट की उपलब्धता के होने पर सेवा वृद्धि की जा सकेगी।
- 3.4 अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा।
- 3.5 अभ्यर्थियों का जिला रोजगार कार्यालय में जीवित/अद्यतन पंजीयन होना अनिवार्य होगा।

4. **शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं**— शैक्षणिक एवं व्यवसायिक अर्हता—

अभ्यर्थी के पास उस पद के लिए विनिर्दिष्ट ऐसे शैक्षणिक एवं व्यवसायिक अर्हताएं आवेदन की अन्तिम तिथि से पूर्व धारित होना चाहिये जैसा कि अनुसूची एक के कॉलम 2 में विहित किया गया है।

5. **आयु सीमा**— नियुक्ति वर्ष की 01 जनवरी को आवेदक की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अनुसूची एक के कॉलम 3 अनुसार होगी।

**स्पष्टीकरण**—आयु-सीमा की गणना करते समय हाईस्कूल प्रमाण-पत्र (10वीं) या इसकी अंकसूची में जो जन्मतिथि अंकित होगी उसे ही मान्य किया जावेगा।

MV

ChW

## 6. निर्हताएः—

- 6.1 किसी उम्मीदवार की ओर से संविदा सेवाएँ देने के लिये किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन के लिए अयोग्य माना जायेगा।
- 6.2 फर्जी कूटरचित्/दस्तावेज, चयन के स्तर पर जानकारी गलत देना/छुपाई गई हो तो ऐसे उम्मीदवार को अयोग्य माना जावेगा।
- 6.3 पररूपधारण (इम्परसोनेशन) किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पररूपधारण कराया हो तो चयन से अयोग्य घोषित किया जाएगा।
- 6.4 कोई भी उम्मीदवार जिसके विरुद्ध आपराधिक मामला पुलिस/न्यायालय में सजा हुई हो वह चयन के लिये अनर्ह होगा।

## 7. चयन प्रक्रिया :—

- 7.1 कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर पद पर चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा। इस हेतु एम.पी. ऑनलाईन मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा ऑनलाईन चयन परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसका शुल्क अभ्यर्थी को स्वयं वहन करना होगा।
- 7.2 कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर पद पर चयन के लिये एम.पी. ऑनलाईन द्वारा आयोजित ऑनलाईन परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। चयन हेतु रैकिंग (मेरिट सूची) इन्हीं अंकों के आधार पर निर्धारित की जायेगी।
- 7.3 एम.पी.ऑनलाईन से प्राप्त मेरिट सूची के आधार पर अंतिम चयन होगा।
- 7.4 उक्त मानदण्डों के अनुरूप चयनित अभ्यर्थियों की संख्या कुल पदों की संख्या से कम होने पर आयुक्त आयुष म.प्र. आवश्यकतानुसार न्यूनतम अंकों की सीमा में कमी करने की कार्यवाही हेतु सक्षम होंगे।
- 7.5 समान अंक होने की स्थिति में निम्नानुसार वरीयता निर्धारण किया जायेगा:-
  - 7.5.1 जिस अभ्यर्थी की उम्र ज्यादा होगी वह मेरिट में दूसरे अभ्यर्थियों से ऊपर होगा।
  - 7.5.2 समान उम्र होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थी के स्नातक में ज्यादा अंक होगा वह मेरिट में दूसरे अभ्यर्थियों से ऊपर होगा।
- 7.6 च्वाईस फिलिंग हेतु निर्धारित शुल्क अभ्यर्थि को वहन करना होगा।

## 8. आरक्षणः— मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित एवं तत्समय प्रचलित नियमों के अध्यधीन निर्धारित प्रतिशत अनुसार रहेगा।

## 9. चयन संविदा सेवाएँ रद्द करना :—

यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीदवार संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर अथवा सुसंगत तथ्यों को छुपाकर चयन में सफल हो जाता है या चयन के पश्चात् प्रमाण-पत्र फर्जी पाये गये एवं चूकवश चयन हो गया हैं तो उम्मीदवार का चयन तुरंत बिना सूचना के रद्द किया जाएगा। चयन संबंधी किसी भी विवाद में आयुक्त आयुष का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

## 10. कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर (संविदा सेवाएँ) के चयन हेतु अन्य निर्धारित दिशा निर्देश :—

- 10.1 सत्यापन प्रक्रिया में मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। किसी भी मूल प्रमाण पत्र की कमी होने की स्थिति में उम्मीदवार अपात्र माने जायेगा एवं चयन नहीं किया जावेगा। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।
- 10.1 मेरिट कम च्वाईस के आधार पर पदस्थापना स्थल पर आवंटित किया जावेगा।
- 10.1 कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर चयन के पश्चात् कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में पदस्थापना के लिए नीति के निर्धारण एवं नियम के अर्थ लगाने हेतु आयुक्त आयुष अंतिम प्राधिकारी रहेगा।

## 11. संविदा अवधि:—

- 11.1 संविदा अवधि एक वर्ष के लिये होगी।
- 11.2 संविदा अवधि में वृद्धि शासन निर्देशानुसार तथा आवश्यकता एवं उपयुक्तता होने पर विचार जायेगा।

MS

Ujan

12. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को नियमितीकरण की पात्रता नहीं होगी और वह भविष्य में नियमितिकरण से संबंधित कोई दावा नहीं करेगा।
13. चयनित कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर को निर्धारित प्रारूप में नियोक्ता के साथ अनुबंध प्रतिपादित करना होगा।
14. मानदेयः— कार्यावधि के दौरान अभ्यर्थि को निर्धारित मानदेय प्रतिमाह देय होगा। यह मानदेय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गम दी गई स्वीकृति के प्रकाश में परिवर्तनशील हो सकता है।
15. नियोक्ता एवं नियुक्तिकर्ता प्राधिकारीः— कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर नियुक्ति हेतु 'आयुक्त आयुष' नियोक्ता एवं नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी होंगे।
16. अनुशासनात्मक कार्यवाहीः— संबंधित का कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर नियोक्ता को नियमानुसार नोटिस देकर अथवा एक माह का मानदेय देकर सेवा से तत्काल पृथक करने का अधिकार होगा। इन नियमों के अंतर्गत शासन के पास अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की शक्ति निहित होगी।
17. शासन नियमों का प्रवर्तनः— इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी यदि कोई विवाद उल्पन्न होता है, उसका निराकरण शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार किया जावेगा।
18. नियमों में संशोधन का अधिकार :—  
इन नियमों के किसी भी उपबंध में बदलाव/संशोधन का अधिकार राज्य सरकार का होगा। आयुक्त आयुष म.प्र. चयन के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। इस तरह किया गया कोई भी संशोधन मान्य करना बंधनकारी होगा।
19. निर्वचनः—  
यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न विवाद उद्भूत होता है तो वह शासन के निर्दिष्ट किया जावेगा जिस पर शासन का विनिश्चय अंतिम होगा।
20. निरसन एवं व्ययवृत्तिः—  
इन नियमों के तत्त्वानी तथा इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतदद्वारा निरस्त किये जाते हैं, परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाही इन नियमों के तत्त्वानी उपबन्धों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्यवाही समझी जावेगी।



(करलिन खोंगवार देशमुख)  
आयुक्त  
संचालनालय आयुष, म.प्र.

*M.F.*  
डॉ. एम. फारूक  
उपसंचालक  
लनालय आयुष

अनुसूची—एक  
नियम—4 एवं 5

कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर (संविदा नियुक्ति) हेतु  
विहित शैक्षणिक एवं व्यवसायिक अर्हताएं

क्रं.	विहित शैक्षणिक एवं व्यवसायिक अर्हता (2)	आयु सीमा (3)
(1)	अनिवार्य अर्हता	
1	विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.यू.एम.एस. उपाधि	नियुक्ति वर्ष की 01 जनवरी को न्यूनतमः 21 वर्ष अधिकतमः सामान्य/ई.डब्लू.एस.—40 वर्ष आरक्षित/महिला/दिव्यांग—45 वर्ष
2	विज्ञापन की अंतिम तिथि से पूर्व इंटर्नशिप पूर्ण।	
3	म.प्र. आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्रकृतिक चिकित्सा बोर्ड/म.प्र. होम्योपैथी परिषद में 'स्थायी पंजीयन'	

नोट— उपरोक्त सभी अर्हताएँ आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व धारित होना आवश्यक है

*Abw*  
(करलिन खोंगवार देशमुख)  
आयुक्त  
संचालनालय आयुष, म.प्र.

*M2*  
डॉ. एम. पारुक  
उपसंचालक  
संचालनालय आयुष